

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2024/12 दिनांक : 16/03/2024

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024 दिनांक 16.03.2024 के द्वारा 29 चिकित्सकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश के अनुसरण में वर्तमान में निदेशालय, एटी राजपत्रित अनुभाग में उपस्थिति दर्ज कर रहें को नवीन पदस्थापन हेतु आज दिनांक 16.03.2024 को कार्यमुक्त किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/एटी/प02/2024/12

दिनांक : 16/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाइट चिकित्सालय एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी।
8. संबंधित चिकित्सकों को विभागीय वैबसाइट के माध्यम से पालनार्थ।
9. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
10. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।